न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 58/2016

–: वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. रामदास पुत्र हापुराम 2. सीता पुत्री हापुराम 3. मनीष पुत्र हापुराम 4. सुमन पुत्री हापुराम नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता भागवती पत्नि हापुराम जाति बावरी निवासी बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।		1. हापुराम पुत्र पूनाराम जाति बावरी निवासी बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ़ 2. सायरराम पुत्र रामुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ़ 3. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:–

1. श्री गुमानराम चौधरी, रामकिशोर चौधरी, रामदयाल चौधरी अधिवक्ता, वादीगण।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:– 09/07/2021

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि खसरा नं. 506 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि आई हुई है जिसको आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा पूनाराम की खातेदारी की भूमि रही है। वादीगण के दादा पूनाराम के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 को विरासत प्राप्त हुई। उक्त वादग्रस्त में वादीगण सहखातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। उक्त भूमि पैतृक व पुस्तैनी होने से वादीगण को इस भूमि में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाते है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 वां हिस्सा बनता है क्योंकि हिन्दू विधि के अनुसार उक्त भूमि में हापूराम व उनके पुत्रों व पुत्रियों को बराबर हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 01 ने राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 02 को दिनांक 11.07.1985 को वादग्रस्त आराजी को बेचान कर दिया। तथाकथित विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार प्रतिवादी संख्या 01 को नही है तथा बेचाननामा शुरू से ही प्रभाव [illegible] अतः ग्राम बारनी खुर्द में स्थित खसरा नं. 506 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि में वादीगण [illegible] संयुक्त रूप से 4/5 व अलग–अलग 1/5–1/5 हिस्से अनुसार सहखातेदार काश्तकार घोषित करने का [illegible] किया एवं माप व सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के [illegible] भूमि का [illegible] किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

प्रकरण दर्ज कर सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा एक्स पार्टी किया गया। वादीगण की ओर से भागवती पत्नि हापुराम जाति बावरी निवासी ग्राम बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ़ एवं नैनाराम पुत्र रतनाराम जाति बावरी निवासी ग्राम बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ़ का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने से साक्ष्य वादी जिरह एवं साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया। वादीगण वकील की बहस सुनी गयी। वादीगण वकील ने ग्राम बारनी खुर्द में स्थित खसरा नं. 506 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 4/5 व अलग–अलग 1/5–1/5 हिस्से अनुसार सहखातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुरोध किया एवं माप व सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के हिस्से की भूमि को अलग से तरमीम किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा राजस्व ग्राम बारनी खुर्द में स्थित खसरा नं. 506 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि माफिक राजस्व रेकर्ड वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिकी की जाकर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के दिनाँक 22.11.2019 एवं संशोधित निर्णय, प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.03.2020 को इस आशय की सादिर की गई थी कि राजस्व ग्राम बारनी खुर्द में स्थित खसरा नं. 506 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि मे वादीगण को 4/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 02 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, भोपालगढ़ को पत्र क्रमांकः– रीडर/कोर्ट/प्राथमिकडिक्री/पालना/2020/580 दिनांक 05.03.2020 के द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, भोपालगढ़ ने अपने पत्र क्रमांकः– राजस्व/प्राथ.डिक्री/2021/2357 दिनांक 16.03.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

वादीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादीगण वकील ने माफिक बंटवाड़ा/विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील एवं डिक्री की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा हम माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व ग्राम ग्राम बारनी खुर्द में स्थित खसरा नं. 506 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म
1	रामदास पुत्र हापुराम हिस्सा 1/4, सीता पुत्री हापुराम हिस्सा 1/4, मनीष पुत्र हापुराम हिस्सा 1/4, सुमन पुत्री हापुराम हिस्सा 1/4 नाबालिग मनीष, सुमन जरिये वली माता भागवती जाति बावरी निवासी बारनी खुर्द (वादीगण)	506	05–02	बारानी तृतीय
2	सायरराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी गारासनी (प्रतिवादी संख्या 02)	506	01–05	बारानी तृतीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 09/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :—सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला—जोधपुर

बईजलास :—श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0

—: वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. रामदास पुत्र हापुराम 2. सीता पुत्री हापुराम 3. मनीष पुत्र हापुराम 4. सुमन पुत्री हापुराम नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता भागवती पत्नि हापुराम जाति बावरी निवासी बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।		1. हापुराम पुत्र पूनाराम जाति बावरी निवासी बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ़ 2. सायरराम पुत्र रामुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ़ 3. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 58/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....—....... व हाजरी श्री गुमानराम चौधरी, रामकिशोर चौधरी, रामदयाल चौधरी , अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व ग्राम बारनी खुर्द में स्थित खसरा नं. 506 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :—

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म
1	रामदास पुत्र हापुराम हिस्सा 1/4, सीता पुत्री हापुराम हिस्सा 1/4, मनीष पुत्र हापुराम हिस्सा 1/4, सुमन पुत्री हापुराम हिस्सा 1/4 नाबालिग मनीष, सुमन जरिये वली माता भागवती जाति बावरी निवासी बारनी खुर्द (वादीगण)	506	05—02	बारानी तृतीय
2	सायरराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी गारासनी (प्रतिवादी संख्या 02)	506	01—05	बारानी तृतीय

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बना[illegible] [illegible]वलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा [illegible] [illegible] जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील [illegible] [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested

नीज .....—.....मुबलिक.....—.....बाबत......—.....खर्चा इस मुकदमें मय [illegible] व शहर ....—......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....—......को अदा करें ।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09/07/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested